संख्या- **16**/2021/ 49-3099/90/2023 (I/ 1179135/2025)

प्रेषक,

अनिल कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग- 3 लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 2025

विषय: प्रदेश के कृषकों को उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति हेतु माह अगस्त से सम्बन्धित आंकलित ब्याज क्लेम के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- I/312928/2025/लेखा-अ, दिनांक 16.10.2025 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय- व्ययक में '' उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति'' योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष माह अगस्त, 2025 से सम्बन्धित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि रूपये 2,76,27,778.00 (रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख सत्ताईस हजार सात सौ अट्ठहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत् कराने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या- 18 के अधीन राजस्व मद में मुख्य लेखाशीर्ष - ''2425- सहकारिता, 108- अन्य सहकारी समितियों को सहायता, 04- उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, 20- सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) '' में प्राविधानित धनराशि रूपये 5500.00 लाख

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के सापेक्ष माह अगस्त, 2025 से सम्बन्धित आंकलित ब्याज के क्लेम्स की धनराशि रूपये 2,76,27,778.00 (रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख सत्ताईस हजार सात सौ अठहत्तर मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की अधोलिखित शर्तों के अधीन मा0 राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

<u>नियम/ शर्तें</u>

(1) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(2) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ०प्र० बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण व्यय, स्वीकृत की गयी धनराशि के विरुद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(4) आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है और नही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अर्थात् किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व पूर्व में स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारुप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ का होगा।
(6) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्ष में जमा कराने/गाइडलाइन्स में निहित व्यवस्थानुसार समायोजन/व्यय करने का दायित्व आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ०प्र० लखनऊ का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्धारित गाइड लाइन/दिशा-निर्देशों में उल्लिखित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।

(8) धनराशि के आहरण के संबंध में मितव्ययता संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं अन्य संगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,76,27,778.00 (रूपये दो करोड़ छिहत्तर लाख सत्ताईस हजार सात सौ अट्ठहत्तर मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-2026 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 018 लेखा शीर्षक 2425001080400 उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति हेतु जिला सहकारी बैंकों द्वारा बी-पैक्स को स्वीकृत की जाने वाली कैश क्रेडिट ऋण सीमा पर ब्याज की प्रतिपूर्ति मानक मद 20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-2-106-X-2025-26, दिनांक: 11-12-2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या- (1)/49-3-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/ प्रयागराज।
3) कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन ।
5) वेब मास्टर, कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0 लखनऊ ।
6) प्रबन्ध निदेशक , उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अनिल कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।